मुद्रणालयों के पंजीयन तथा मुद्रण एवं अन्य कार्यो के लिये दरें

आवेदन प्राप्त करने की अवधि
दिनांक 27/08/2021 तक

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि
02/09/2021 कार्यालयीन समय तक

मध्यप्रदेश माध्यम

40,प्रशासनिक क्षेत्र,

अरेरा हिल्स,भोपाल

मुद्रणालयों के पंजीयन तथा मुद्रण एवं अन्य कार्यो के लिये दरें

नियम एवं शर्ते

1- मध्यप्रदेश माध्यम प्रदेश शासन का एक सृजनात्मक उपकम है। म.प्र.माध्यम विगत कई वर्षो से शासकीय विभागों,उपकमों और संस्थाओं के मुद्रण के विभिन्न कार्य पंजीकृत मुद्रकों से करवाता है, जिस के लिये मुद्रकों का पंजीयन करवाया जाना है। मध्यप्रदेश के वे मुद्रक जिनका वार्षिक औसत टर्न ओव्हर 3 करोड़ रूपये से अधिक है और जो यहां उल्लेखित मुद्रण मशीनें रखते हैं आवेदन कर सकते हैं। मुद्रक के पास दो फोर कलर प्रिटिंग मशीन (शीट फेड आफसेट) हों, दोनों मशीने 18" X 23" आकार से कम की न हो। इसके अलावा एक 23" X 26" आकार सिंगल कलर मशीन,सी.टी.पी (कम्प्यूटर टू प्लेट) या फिल्म प्रोसेसर,आटोमेटिक फोल्डिंग, परफेक्ट बाइंडिंग, पेपर कटिंग, प्लेट मेकिंग यूनिट, कैलेण्डर पंचिंग, स्पॉयरल बाइंडिंग,लेमीनेशन मशीन आदि की आधुनिक मशीनों वाले मुद्रकों से आवेदन आमंत्रित है।

2- पंजीयन आवेदन फार्म रूपये **1000/-** (एक हजार रूपये मात्र) नगद अथवा बैंक डिमॉड ड्राफ्ट जमा कर लेखा शाखा से दिनांक **27/08/2021** तक कार्यालयीन दिनों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर प्राप्त किये जा सकते है। पंजीयन आवेदन प्रपत्र दिनांक **02/09/2021** तक **कार्यालयीन समय में जमा किये जायेंगे।** निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनो पर विचार नहीं किया जाएगा।

3- पंजीयन के साथ मुद्रण की दरों का निर्धारण भी किया जाना है अतः आवेदकों को अपना प्रस्ताव दो लिफाफो में देना होगें। **लिफाफा कमांक 1** में माध्यम द्वारा दिये गये आवेदन पत्र में पंजीयन से संबंधित समस्त जानकारी तथा **लिफाफा कमांक 2** में माध्यम द्वारा दिये गये प्रपत्र में दरें प्रस्तुत करना होगी। **लिफाफा कमांक 1** को खोलने के पश्चात निर्धारित पंजीयन की शर्तो को पूरा करने वाले तथा मुद्रणालय निरीक्षण में पात्र पाए जाने वाले मुद्रको का **लिफाफा कमांक 2** खोला जाएगा।

4- ऐसे आवेदक जो माध्यम में पूर्व से पंजीकृत है, को भी **आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि जमा करना होगी। रूपये 5,00,000/-** (रूपये पांच लाख मात्र) का बैंक से जारी **बैंक डिमॉड ड्राफ्ट** देय होगा, जो मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से जारी किया गया हो बैंक चेक मान्य नहीं होगा। धरोहर राशि के रूप में **लिफाफा कमांक 1** में रखकर देना होगी। **बिना धरोहर राशि के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।**

5- दोनों लिफाफों को अलग – अलग बंद किया जाना है तथा लिफाफों पर **लिफाफा कमांक - 1 एवं लिफाफा कमांक - 2** स्पष्ठ रूप से अंकित करना होगा।

6- मशीन एवं अन्य उपकरण की जानकारी फार्म के साथ संलग्न **परिशिष्ट – एक** में दी जानी होगी तथा **परिशिष्ट – दो** में दरें प्रस्तुत करना होगी।

7- आवेदक को अपने आवेदन – पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है :–

I- PAN की प्रति

II- स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र

III- वार्षिक औसत टर्न ओव्हर 3 करोड़ रूपये अथवा इससे अधिक होने की पुष्टि के लिये पिछले तीन वर्षो (2017–2018, 2018–2019 एवं 2019–2020) की Audited बैलेंस शीट Audit Report के साथ संलग्न करें। जिसका परीक्षण संबंधित विभाग से करवाये जाने पर किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित फर्म का पंजीयन नहीं किया जायेगा। कर सलाहकार का यूडीआईएन नम्बर दें। निविदाकार का समान प्रकृति के मुद्रण कार्य का आवर्त (टर्न ओव्हर) होना आवश्यक है।

IV- Printing Press के रजिस्ट्रेशन का श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र में संस्था का मुख्य कार्य मुद्रण कार्य होना आवश्यक है।

V- GST कार्यालय में पंजीयन होने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति। प्रमाण पत्र में संस्था का मुख्य कार्य " मुद्रण " होना आवश्यक है।

VI- पिछले दो वर्षो में किये गये कम से कम 2 उत्कृष्ट मुद्रित सामग्री संलग्न करें। जिसमें पूर्व वर्ष के एक मुद्रित सामग्री का नमूना अवश्य हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

VII- आवेदक, कंपनी होने की दशा में मैमोरेन्डम एवं अर्टिकल्स आफ एसोसिऐशन की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

VIII- आवेदक प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म होने की दशा में प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप डीड की प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगी।

IX- मुद्रक द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उसको किसी शासकीय/अर्द्वशासकीय संस्था के द्वारा विगत 3 वर्षो में ब्लेक लिस्ट (Black List) नहीं किया गया है।

8- वित्तीय वर्ष 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020 के टर्न ओव्हर एवं वित्तीय वर्ष 2019–2020 एवं 2020–2021 के GST का Return की प्रति।

9- वेयर हाउसिंग एन्ड डिस्ट्रीब्युशन की व्यवस्था (आवश्यकता होने पर) मुद्रणालय में होना चाहिये।

10- अन्य सरकारी/अर्द्व सरकारी/प्रतिष्ठित कंपनी में पंजीकृत/पैनल्ड होने संबंधी जानकारी की सूची (अपने क्लाइंटो की सूची) प्रस्तुत करें। **निविदाकार्ता का कोर्ट में मामला पेडिंग है तो कृपया जानकारी देवे।**

11- किसी प्रकार का कोई अनुबंध है तो उसकी जानकारी देवें।

12- मुद्रणालय में कार्यरत कर्मचारियों की नाम एवं पद सहित सूची देंवे तथा यह भी जानकारी देवें कि कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन ESI, EPF में है अथवा नहीं।

13- मुख्यालय के सभी प्रकार के बीमा (Insurance) की जानकारी देवें।

14- पंजीयन आवेदन एवं दरें मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा दिये गये प्रपत्र में भरकर देनी होगी। सभी प्रकार की प्राप्त न्यूनतम दरों से मानक न्यूनतम दर प्राप्त की जावेगी। मानक न्यूनतम दर पर सहमति देने वाले पात्र आवेदकों का पंजीयन किया जा सकेगा एवं असहमति देने वाले आवेदकों का पंजीयन नहीं किया जा सकेगा।

15- पंजीयन एक वर्ष के लिये होगा। परस्पर सहमति के आधार पर पंजीयन की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। अवधि बढ़ाई जाना है अथवा नहीं यह निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम के पास सुरक्षित रहेगा।

16- नये पंजीयन होने तक पुराने पंजीयन एवं दरें मान्य रहेगी। नये पंजीयन आदेश होने के पश्चात पुराने पंजीकृत संस्थाऐं एवं दरें निरस्त मानी जावेगी।

17- पंजीयन के लिये आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद पंजीयन के पूर्व माध्यम के अधिकारियों द्वारा आवेदक के मुद्रणालय का भौतिक रूप से निरीक्षण किया जायेगा,इसके लिये मुद्रक द्वारा माध्यम के अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देना होगा। पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद बिना किसी पूर्व सूचना के निरीक्षण भी (कार्यालयीन समय में) किया जा सकता है।

18- किसी विशिष्ठ प्रकार के मुद्रण कार्य के लिये माध्यम द्वारा पृथक से निविदायें आमंत्रित की जा सकेगी, ऐसी निविदाओं में निविदा की शर्तो को पूरा (Fulfill) करने वाले मुद्रको को भाग लेने की पात्रता होगी, लेकिन कार्य का आवंटन निविदा में प्राप्त दर,मुद्रको की कार्य क्षमता पर विचार करने के पश्चात ही निर्णय किया जायेगा। इस मामले में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम का निर्णय अंतिम रहेगा।

19- मुद्रण संबंधित सामग्री मध्यप्रदेश माध्यम कार्यालय से उठानी होगी तथा मुद्रित होने के पश्चात मध्यप्रदेश माध्यम कार्यालय अथवा बताये गये स्थान पर भोपाल में ही प्रदाय किया जाना होगा, इसके परिवहन का कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। मुद्रित सामग्री भोपाल शहर से बाहर भेजने पर न्यूनतम दर पर भुगतान किया जायेगा।

20- जनरेटर से मशीन चलाने की व्यवस्था वाले मुद्रको को कार्य में प्राथमिकता दी जा सकती है।

21- आवेदन पत्रों को परीक्षण करने के पश्चात, मुद्रणालय का निरीक्षण किया जायेगा। निविदा शर्त पूरी करने वाले एवं निरीक्षण में पात्र पाये गये मुद्रणालय ही पंजीयन के लिए पात्र होगें। आवेदन जमा करने का आशय यह होगा कि आवेदनकर्ता को सभी शर्ते मान्य है।

22- कार्य अपेक्षित स्तर का निष्पादित न होने पर अस्वीकार किया जायेगा तथा ऐसे अस्वीकार किये गये कार्य की सामग्री का मूल्य मुद्रक को वहन करना होगा। कार्य समय पर नहीं देने पर देयक में से नियमानुसार कटौती की जायेगी।

23- मुद्रणालय में समस्त सुविधाऐं एक ही परिसर में होनी चाहियें, यदि यूनिट एक ही शहर में अलग – अलग जगह पर है तो जानकारी आवेदन फार्म में दी जाना आवश्यक है।

24- समय पर कार्य संपादित नहीं करने अथवा किसी अन्य कारणों से माध्यम को कोई हानि होने पर इस हानि/क्षति होने पर नुकसान की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं मुद्रक की होगी एवं व्यय राशि की भरपाई मुद्रक से की जायेगी।

.

25- पंजीयन के पश्चात मुद्रणालय में स्थापित मशीन एवं सहायक उपकरणों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी जानकारी इस कार्यालय को दिया जाना आवश्यक होगा। ऐसे कार्य से यदि निविदा शर्तो का उल्लघंन होता है तो आवेदक का पंजीयन निरस्त किया जा सकता है।

26- पंजीयन के लिये निर्धारित नियम एवं शर्तो का उल्लघंन करने, पर माध्यम को हुई क्षति/हानि की वसूली आवेदक के देयकों के भुगतान के समय अथवा जमा राशि से की जायेगी।

27- विभिन्न विभागों से प्राप्त आदेशानुसार मुद्रण संबंधित कार्य पूर्ण होने के पश्चात् म.प्र.माध्यम कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु प्रेषित किये गये देयकों का भुगतान म.प्र.माध्यम कार्यालय को प्राप्त होने के साथ ही मुद्रकों द्वारा म.प्र.माध्यम कार्यालय में प्रेषित देयको की जी.एस.टी राशि के पोर्टल में प्रदर्शित होने के बाद ही संबंधित फर्मो के देयकों के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

28- किसी विशेष प्रकार का कार्य प्राप्त होने पर कार्य की प्रकृति/समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्य एक से अधिक पंजीकृत मुद्रकों से करवाया जा सकता है।

29- भोपाल के अतिरिक्त अन्य शहरों के पंजीबद्व मुद्रकों को कार्य में समय सीमा होने पर/उनके आसपास के जिलों का कार्य होने पर कार्य आवंटित किया जा सकता है।

30- मुद्रण के लिये पेपर का प्रदाय माध्यम द्वारा किया जायेगा।

31- मुद्रण पश्चात् पूर्ण संख्या में सामग्री प्रदाय करना होता है इसके लिये अतिरिक्त शीट (वेस्टेज) का प्रदाय माध्यम द्वारा किया जायेगा। 1000 से कम संख्या के लिये प्रति फार्म (4 पृष्ठ) 20 शीट एवं 1000 से अधिक संख्या में 1 प्रतिशत प्रति कलर वेस्टेज दिया जायेगा। वेस्टेज कम या ज्यादा करने का निर्णय शाखा के तकनीकी अधिकारियो/शाखा प्रमुख द्वारा किया जायेगा।

32- प्रति प्लेट 50,000 इम्प्रेशन तक दिया जायेगा इससे अधिक इम्प्रेशन पर पुनः प्लेट सेट दिया जायेगा।

33- जिन मुद्रकों के पास सीटीपी की इन हाउस सुविधा होगी। ऐसे मुद्रकों को कार्य आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।

34- संस्था को दिये जाने वाले कार्यादेश में आवश्यकतानुसार पूरक शर्ते भी शामिल की जा सकती है। पंजीयन के लिये निर्धारित नियम एवं शर्तो को उल्लघंन करने या अन्य किसी वजह से म.प्र.माध्यम को हुई हानि की राशि की वसूली आवेदक की जमा धरोहर राशि अथवा भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावेगा।

35- कार्यादेश में दी गई समय सीमा को विभाग की आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती है।

36- देयक का सत्यापन एवं भुगतान के लिये कार्य का मुल्याकंन, कार्य का सत्यापन तथा कार्यादेश/निविदा शर्तो के आधार पर देयक का भुगतान किया जायेगा। देयक को भुगतान के लिये प्रस्तुत करते समय फर्म को जी.एस.टी – **बी 2 बी** प्रमाण के साथ देना होगा। जिसमें टेक्स पेड है यह स्पष्ठ प्रदर्शित होना चाहिये।

37- यह मुद्रकों का पंजीयन है। कार्य का आवटंन, कार्य की समय सीमा/गुणवत्ता एवं मुद्रणालय की कार्य क्षमता/पूर्व अनुभव के आधार पर किया जावेगा।

38- कार्य समय सीमा में नही करने की स्थिति में लिखित में सूचना देना आवश्यक होगा।

39- कोई भी आवेदन बिना कोई कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार म.प्र.माध्यम के प्रबंध संचालक को होगा।

40- किसी प्रकार का विवाद होने पर पंचाट अधिनियम के तहत निर्णय किया जावेगा एवं प्रबंध संचालक म.प्र.माध्यम का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा तथा न्यायिक क्षेत्र, भोपाल रहेगा।

प्रबंध संचालक